BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL,

ORIGINAL APPLICATION NO. 110/2025

IN THE MATTER OF:

SANDEEP MISHRA …..**APPLICANT**

VERSUS

STATE OF MP & ORS ….**RESPONDENT**

INDEX

SR.	PARTICULARS	ANNEXURE	PAGE
1.	Inspection Report of the Joint Committee in Original Application no. 110/2025 of Sandeep Mishra V/s State of Madhya Pradesh & Ors.		2-4
2.	Photographs taken during inspection	**Annexure-1**	5-6
3.	The marked google earth imagery	**Annexure-2**	7-8
4.	Copy of Panchnama prepared by the joint committee	**Annexure-3**	9
5.	Information received from Forest Department	**Annexure-4**	10-25
6.	Copy of letter seeking information from PWD and BMC	**Annexure-5**	26-27
7.	Vakalatnama		28

Date: 27.10.2025

Place: Bhopal

Submitted by MPPCB: -

through Counsel

Adv. ParulBhadoria

Ph. No.: (+91)-8085977111;

Email: parul.bhadoria04@gmail.com

INSPECTION REPORT

Sub: Inspection Report of Joint Committee in Original Application No. 110/2025 of Sandeep Mishra V/S State Of Madhya Pradesh & Ors.

Ref: Order of the Hon'ble NGT dated 21.08.2025 in OA 110/2025

1. That, the Hon'ble NGT vide its order dated 21.08.2025 in the matter of OA 110/2025 (CZ) Sandeep Mishra V/s State of Madhya Pradesh constituted a joint committee and directed them to visit the site and submit the action taken report.
2. That, the committee reviewed the petition and the points related to the issues raised in the petition were discussed to proceed for the inspection. The main point raised by the applicant in his application is illegal cutting of trees and construction of Wine/Liquor Shop located at Manisha Market, Near Shahpura Lake, Bhopal on the green belt area which is a deemed forest land.
3. That, the representatives of the concerned departments conducted a site visit of Wine/ Liquor shop" Composite Madira Dukan", located at Manisha Market, Village Shahpura, Tehsil – Kolar, District Bhopal as mentioned in the petition on dated 16.10.2025. The Photographs taken during inspection are enclosed as **Annexure-1**.
4. That, the geographical locations of the shop measured using mobile based application and duly marked on Google Earth Map. The marked google earth imagery is enclosed as **Annexure-2**.
5. The observations recorded during inspection are as under:
   5.1 The Wine/ Liquor shop" Composite Madira Dukan" is located at Manisha Market, Village Shahpura, District-Bhopal, Madhya Pradesh. The geographical location of the site is latitude 23°12'7.13"Nand longitude 77°25'34.39"E.

5.2 The Shahpura Road runs along the southern side of the shop. On the eastern side of the shop, there is a bus stop located adjacent to the shop. Further along the eastern side, next to the bus stop and along Shahpura Road, there exists a green belt (plantation area) maintained by the CPA.

5.3 During the inspection, it was observed that the plantation area contains fully grown trees, ornamental plants, and shrubs.

5.4 No uprooting or damage to trees was observed by the committee during the inspection.

6. That, during inspection, Panchnama was prepared and signed by the members of the committee. Copy of the Panchnama is annexed herewith as **Annexure -3**

7. That, forest department vide its letter dated 23.10.2025 provided information regarding the allegations made by the petitioner. Copy of the information provided by the forest department is annexed herewith as **Annexure -4**.

7.1 As per the information received from the forest department road side plantation of 200 plants has been done by the CPA, Bhopal. The Plantation has been transferred to Executive Engg Capital Mandal, PWD Sr. No. 2, Bhopal on 27.04.2023 after completion of maintenance period.

7.2 That, According to Khasra details (136, Shahpura) area of mentioned land is around 0.0640 hectare which is less than 10 hectare and it is revenue land. and as per the Revenue record Khasra No. 136, Shahpura is mentioned as Farm land, not chota bada jhad ka jungle. Hence as per the definition this land cannot be considered as forest/deemed forest.

8. In view of the above points, the Committee has observed that the land use status of the area where the liquor shop is located is not clear. The Committee therefore decided to seek information from the concerned department. it is most humbly submitted that letter has been issued to the PWD, Bhopal and the Bhopal Municipal Corporation, seeking information regarding the construction of the liquor shop on the green belt and the permissions obtained for setting up the liquor shop. Copy of the letter is annexed herewith as **Annexure – 5.**

Ruhi Haque,	**Pramod Srivastava**,	**Prakamya Tiwari**,	**Shivam Dwivedi**,
Assistant Director	RI	AE	Legal Assistant
Van Vihar,	Tehsil-Kolar, Bhopal	RO, MPPCB,	RO, MPPCB,
Bhopal		Bhopal	Bhopal

ANNEXURE-1

Inspection Photographs in OA 110/2025

Latitude: 23.202070
Longitude: 77.426530
Elevation: 497.60±3.00 m
Accuracy: 3.54 m
Time: 16-10-2025 15:14:48
Note: Manisha market

Latitude: 23.202054
Longitude: 77.426451
Elevation: 492.93±4.03 m
Accuracy: 4.75 m
Time: 16-10-2025 15:03:18
Note: Manisha market

ANNEXURE-2

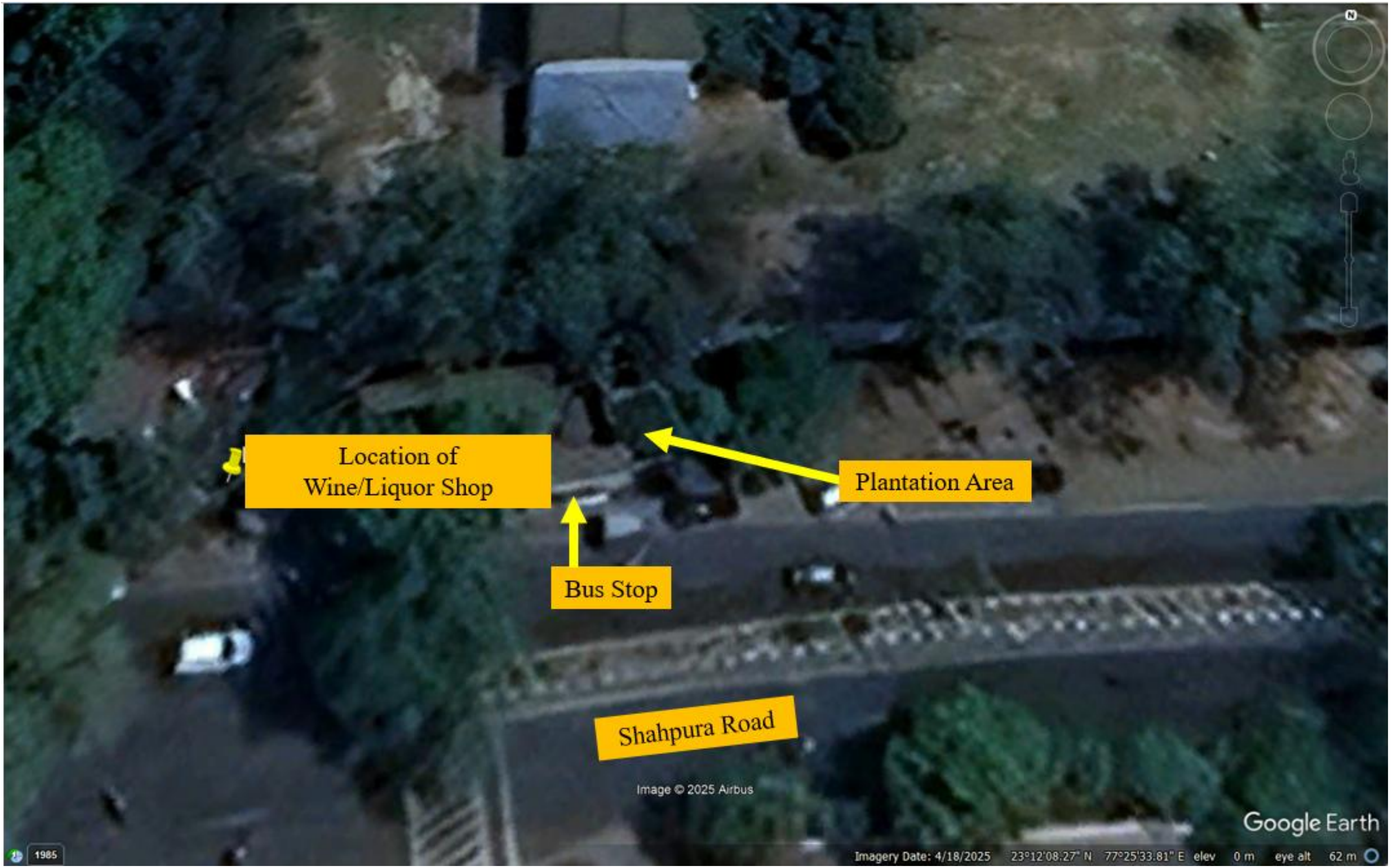

Google Earth Imagery of the site in OA 110/2025

Shahpura Rd
Exit Street View
Google Imagery Dated December 2022
Location of
Wine/Liquor Shop
© 2025 Google
Google Earth
Imagery Date: 12/2022 23°12'09.69" N 77°25'35.84" E elev 27 m eye alt 3 m

स्थान - ग्राम शाहपुर
दिनांक - 16/10/2025

स्थल पंचनामा
—1—

स्थल पंचनामा लिख दिया हम हस्ताक्षरकर्ता पंचानगण यह तस्दीक करते हैं कि आज दिनांक 16/10/2025 को माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रकरण क्रमांक 110/2025 के आदेश दिनांक 21/08/2025 के द्वारा गठित समिति के द्वारा ग्राम शाहपुर स्थित वाइन लेक के पास मनीषा मार्केट स्थित स्थल का स्थल निरीक्षण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से सहायक यंत्री सुश्री प्रियमा तिवारी, एवं श्री शिवम द्विवेदी बोर्ड अधिवक्ता तथा वन विभाग की ओर से श्रीमति रूही हक अनुविभागीय अधिकारी (सहायक संचालक) वन विहार भोपाल तथा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील कोलार की ओर से प्रमोद श्रीवास्तव रा० नि० मौके पर उपस्थित होकर मौके स्थल निरीक्षण किया।

मौके पर स्थल पंचनामा तैयार किया गया पढ़कर सुनाया गया बाद उपस्थित लोगों के हस्ताक्षर कराये गये।

(signature)
रा० नि०
16/10/2025

(signature)
16/10/2025
AE. RO, MPPCB.

(signature)
16/10/25
Advocate, MPPCB

(signature)
16/10/25
AD Vanvihar

ANNEXURE-4

Office of the Director, Van Vihar National Park,

Bhadbhada Road, Bhopal (M.P.)-462003
Phone : 0755-2674278, E-mail : fdvanvnp.bpl@mp.gov.in

Ref No./Assit. Director/ 1713 **Date/** 23/10/25

To,

Regional Officer,
M.P. Pollution Control Board,
Paryavaran Parisar, E-5,
Arera Colony, Bhopal (M.P.)

Sub : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्ट्रल जोन बेंच भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक–110 / 2025 के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 21.08.2025 के अनुपालन बाबत्।

Ref: (1) कार्यालय वन वृत्त, भोपाल का पत्र क्रं./न्याया/2281 भोपाल, दिनांक 16.09.2025।

(2) पर्यावरण वानिकी वनमण्डल, भोपाल का पत्र क्रं./1160 भोपाल, दिनांक 22.10.2025।

With due respect, according to documents and site inspection, findings are as below :

(i) According to T.N. Godavarman Thirumulpad Vs Union of India 1997 SCC (2) 267 - "The criteria that an area to the extent of not less than 10 hectare having naturally grown average trees on an average of 200 trees per hectare may be declared as forest".

According to above definition- that mentioned area cannot be Forest land/Deemed forest as the area of that belt is less than 10 hectare, as well as the trees are not naturally grown trees, whereas that is Road Side plantation of 200 plants has been done by CPA, Bhopal. Plantation of 200 plants has been done as that belt in 2009.

(ii) The plantation has been transferred to Executive Engg. Capital Mandal, PWD Sr. No. 2, Bhopal on 27.04.2023 after the completion of maintenance period that via letter no. 329 & 333, dated 27.04.2023. Above mentioned land has been given for plantation

and maintenance purpose to CPA, Bhopal. After the completion of plantation and maintenance period, above mentioned land has been transfer to the original department.

(iii) According to Khasra details (136, Shahpura), area of mentioned land is around 0.0640 hectare, which is less than 10 hectares and it is Revenue Land. Hence the objection of Applicant that clearance/permission to use the subjective forest land for construction of Wine/Liquor Shop as required under section 2 of the Forest Conservation Act 1980, is not applicable.

(iv) In Revenue records Khasra 136, Shahpura, it is mentioned as farmland, not Choto bada Jhadh Ka Jungle. Hence according to definition, "this land cannot be treated as Deemed Forest".

Please find enclosed. 1 To 14 Pages

Assistant Director,
Van Vihar National Park,
Bhopal

Ref No./Assit. Director/ **Date/**

Cc to : (1) Chief Conservator of Forest, Bhopal Circle, Bhopal (M.P.) for kind information and necessary action.

(2) DFO, Paryavaran Vaniki Division, Bhopal for kind information and necessary action.

Assistant Director,
Van Vihar National Park,
Bhopal

①

कार्यालय वनपरिक्षेत्र अधिकारी इकाई कमांक–1
पर्यावरण वानिकी वनमण्डल, भोपाल

क्रमांक : 708 भोपाल दिनांक : 22/10/2025

प्रति,

श्रीमान वनमंडलाधिकारी महोदय,
पर्यावरण वानिकी वनमण्डल, भोपाल

द्वारा : श्रीमान सहायक वनसंरक्षक महोदय (द्वितीय), पर्यावरण वानिकी वनमण्डल, भोपाल

विषय : Complaint regarding the illegal cutting of trees ande contruction of shop on the green belt carried out by the liquor under the name and styke of Smriti Associates on the green belt area located at Manisha Market, Near Shahpura Lake Bhopal (M.P.)

संदर्भ : (1) श्रीमान जी का पत्र कमांक/ न्याया./2205 दिनांक 25–06–2025
(2) श्रीमान सहायक वनसंरक्षक महोदय (द्वितीय), पर्यावरण वानिकी वनमण्डल, भोपाल का पत्र कमांक/757 दिनांक 26–06–2025

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि संदर्भित पत्र के परिपालन में संबधित क्षेत्र के प्रभारी श्री इरशाद कुरेशी कार्यवाहक वनपाल द्वारा दिनांक 22–10–2025 को मौका स्थल का निरिक्षण किया गया । जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. पर्यावरण वानिकी का गठन दिनांक 26–09–2022 को हुआ ।
2. रोड साइड प्लांटेशन शाहपुरा से मनीषा एवं मनीषा से अहिल्याबाई रोड साइड वृक्षारोपण में वर्ष 2009 में 200 पौधों का रोपण किया गया ।
3. इस वृक्षारोपण की लम्बाई 375 मीटर, चौडाई 6 मीटर है एवं खसरा कमांक 136 है जिसमें भूमि शासकीय है जानकारी अनुसार ।
4. उपरोक्त बिन्दू कमांक 2 के अनुसार वृक्षारोपण वर्ष 2009 में किया गया है ।
5. उपरोक्त बिन्दू कमांक 2 के अनुसार 200 पौधों का वृक्षारोपण किया गया है ।
6. उपरोक्त क्षेत्र के सभी वृक्षारोपण क्षेत्रों के रख रखाव अवधि समाप्त होने के पश्चात दिनांक 27–04–2023 को विभागीय पत्र कमांक 329 एवं 333 के अनुसार उक्त क्षेत्रों का प्रभार कार्यपालन यंत्री राजधानी मंडल लोक निर्माण विभाग कमांक 2, भोपाल को सौपा गया है ।
7. प्लांटेशन (वृक्षारोपण) के पास सिटी बस स्टाप बना हुआ है । इसके बाद मदिरा की दुकान 01 मई वर्ष 2023 से लगाई गई है । यह मदिरा दुकान वृक्षारोपण क्षेत्र के पास लगी होने के कारण यहां पर असमाजिक तत्वों द्वारा वृक्षारोपण क्षेत्र में लगी सुरक्षा पोल्स कटीले तार नष्ट करने के कारण वृक्षारोपण क्षेत्र में चार पहिया/दो पहिया वाहनों की पार्किंग की जाने से क्षेत्र में लगे वृक्ष भी नष्ट हो रहे हैं रख रखाव अवधि पूर्ण (समाप्त) होने के पश्चात बिन्दू कमांक 6 के अनुसार समस्त क्षेत्रों का प्रभार कार्यपालन यंत्री राजधानी मंडल लोक निर्माण विभाग कमांक 2, भोपाल को प्रभार दे दिया गया है ।
8. उक्त क्षेत्र ग्रीन बेल्ट है या अथवा नहीं विभाग के पास जानकारी नहीं है ।

प्रतिवेदन श्रीमान जी की ओर अनुशंसा सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

संलग्न :- पूर्व कार्यालय पत्र, पंचनामा, खसरा, नजरिया नक्शा एवं नोट केम से फोटोग्राफ, सौपे गये प्रभार के कार्यालयीन पत्र (2)

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
इकाई कमांक–1
पर्यावरण वानिकी वनमण्डल, भोपाल

कार्यालय पर्यावरण वानिकी वनमण्डल भोपाल
पत्र क्र. 1160 भोपाल दि. 22/10/2025

प्रतिलिपि: उप वन मण्डलाधिकारी (संचालन) वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल की ओर पंचनामा, फोटोग्राफ सहित प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

सहायक वन संरक्षक (द्वितीय)
पर्यावरण वानिकी वन मण्डल

②

कार्यालय वनपरिक्षेत्र अधिकारी इकाई क्रमांक–1
पर्यावरण वानिकी वनमण्डल, भोपाल

क्रमांक : 485 भोपाल दिनांक : 03/07/2025

प्रति,

श्रीमान वनमंडलाधिकारी महोदय,
पर्यावरण वानिकी वनमण्डल,
भोपाल

द्वारा : श्रीमान सहायक वनसंरक्षक महोदय (द्वितीय), पर्यावरण वानिकी वनमण्डल, भोपाल

विषय : Complaint regarding the illegal cutting of trees ande contruction of shop on the green belt carried out by the liquor under the name and styke of Smriti Associates on the green belt area located at Manisha Market, Near Shahpura Lake Bhopal (M.P.)

संदर्भ : (1) श्रीमान जी का पत्र क्रमांक/ न्याया./2205 दिनांक 25-06-2025

(2) श्रीमान सहायक वनसंरक्षक महोदय (द्वितीय), पर्यावरण वानिकी वनमण्डल, भोपाल का पत्र क्रमांक/757 दिनांक 26-06-2025

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि संदर्भित पत्र के परिपालन में संबधित क्षेत्र के प्रभारी श्री इरशाद कुरेशी कार्यवाहक वनपाल दिनांक 02-07-2025 को मौका स्थल का निरिक्षण हेतु पत्र में दर्शाये अनुसार मनीषा मार्केट, शाहपुरा तालाब के पास ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में भेजा गया । शिकायतकर्ता श्री संदीप मिश्रा, जी–97/44 तुलसी नगर भोपाल से उनके दिये गये मोबाईल न. पर 9300003709 पर उनसे संपर्क किया गया, शिकायतकर्ता के बताये अनुसार मौका स्थल का निरिक्षण किया, मौका स्थल पर फेसिंग पोल्स, तार एवं वृक्षों को क्षतिग्रस्त किया गया है । मौका स्थल का पंचनामा तैयार किया गया एवं उक्त क्षेत्र का खसरा, नजरिया नक्शा एवं नोट केम से फोटोग्राफ लिये गये (छायाप्रति संलग्न), एवं उक्त क्षेत्र का प्रभार कार्यपालन यंत्री, राजधानी मंडल, लोक निर्माण विभाग क्रमांक–2 भोपाल को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 329 एवं 333 दिनांक 27-04-2023 को सौपा जा चुका है (छायाप्रति संलग्न)।

प्रतिवेदन श्रीमान जी की ओर अनुशंसा सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

संलग्न : पंचनामा, खसरा, नजरिया नक्शा एवं नोट केम से फोटोग्राफ सौपे गये प्रभार के कार्यालयीन पत्र (2)

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
इकाई क्रमांक–1
पर्यावरण वानिकी वनमण्डल, भोपाल

(3)

पंचनामा

हम पंचगण इस बात की सही-सही तस्दीक करते हैं कि आज दिनांक 2/7/25 को परिक्षेत्र अधिकारी रेंज क्र (1) पर्यावरण वानिकी वन मण्डल भोपाल द्वारा श्री संदीप मिश्रा जी के शिकायती पत्र मनीषा मार्केट शाहपुरा कैम्पियन स्कूल की बाउंड्री से लगा हुआ शेखर अस्पताल के सामने वाला वृक्षारोपण जहां वर्तमान में मदिरा की दुकान भी लगी है इस वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु लगी पोल्स सीमेंट के एवं कटीला तार लगाया गया था उसे नष्ट किया गया तथा इनके वृक्षों को भी नष्ट किया गया यहां पर मदिरा दुकान पर आने वाले लोगों के द्वारा यह कृत्य किया गया है शिकायत को सही पाया गया किन्तु यहां यह बताना भी उचित होगा कि उक्त वृक्षारोपण क्षेत्र निश्चित समय के रख रखाव के पश्चात पी० डब्लू० डी० लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री महो० को दिनांक 28/04/23 को विधिवत सौंपा गया है उनके प्रभार में दे दिया गया है इसी कारण वृक्षारोपण के रखरखाव से संबंधित किसी भी प्रकरण पर कार्यवाही करने का अधिकार श्रीमान कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग को है। प्रश्न के उत्तर स्वरूप पंचनामा समक्ष आरवेतो के समक्ष पढ़ लिख कर सुनाकर लिखा गया जो समय पर काम आवे

पंचनामा मेरे द्वारा लिखा गया
(हस्ताक्षर)
इरशाद कुरैशी
कार्यवा० वनपाल
प०वा० व० म० भोपाल

हस्ताक्षर पंच/गवाहान

(1) राजू ढोके (रमाई कॉलोनी) — राजू ढोके

(2) वृन्दावन गूजर (अन्य) — बृंदावन

कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी इकाई क्रमांक—...
पर्यावरण वानिकी वनमंडल भोपाल (म0प्र0)

/329

भोपाल, दिनांक 27/4/23

[illegible]
[illegible] ROD

भोपाल

विषय :— रखरखाव पूर्ण हो चुके वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा के संबंध।।

संदर्भ :— मध्यप्रदेश शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ/1223524/2023/10–2 दिनांक 10.07.2023 एवं वनमंडलाधिकारी पर्यावरण वानिकी वनमंडल भोपाल का पत्र क्रमांक/लेखा/665 दिनांक 17.04.2023

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि तत्कालीन राजधानी परियोजना वनमंडल द्वारा आपके अधीन भू क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य किया गया था। जिसमें निम्नानुसार जीवित वृक्ष है:—

क्र.	वृक्षारोपण क्षेत्र का नाम	रोपित वर्ष	वृक्षों की संख्या	रिमार्क
1	[illegible]	[illegible]	400	—
2	[illegible]	[illegible]	100	—
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—

वृक्षारोपण के चार वर्ष तक ही रखरखाव/सुरक्षा का प्रावधान होने के कारण उपरोक्त वृक्षारोपण क्षेत्र शासन निर्देशानुसार आपको सुरक्षा हेतु सौंपे जाते है।

अतः आपसे संस्था/विभाग के माध्यम से सुरक्षा करने का अनुरोध है।

परिक्षेत्र अधिकारी
इकाई क्रमांक
पर्यावरण वानिकी वनमंडल
भोपाल

कार्या. इकाई क्र.-1, पर्यावरण वानिकी वन मण्डल, भोपाल
पृ0क्र0/लेखा/330
भोपाल, दिनांक 27/4/23

भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :— वनमंडलाधिकारी, पर्यावरण वानिकी वनमंडल भोपाल की ओर संदर्भित प. के तारतम्य में सूचनार्थ प्रेषित।

परिक्षेत्र अधिकारी
इकाई क्रमांक
पर्यावरण वानिकी वनमंडल

(5)

233

27/4/23

मौका स्थल का नजरिया नक्शा

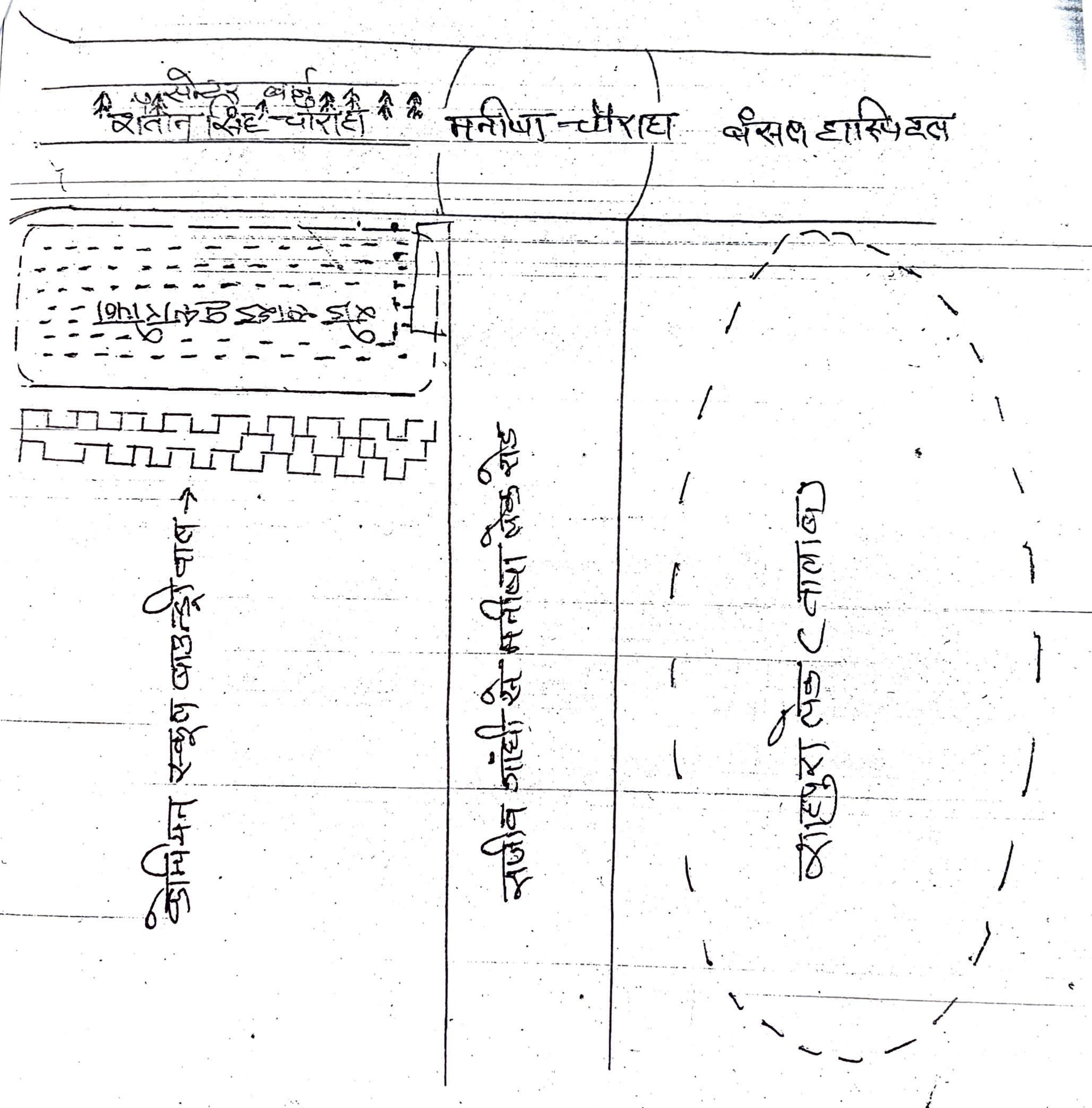

(7)

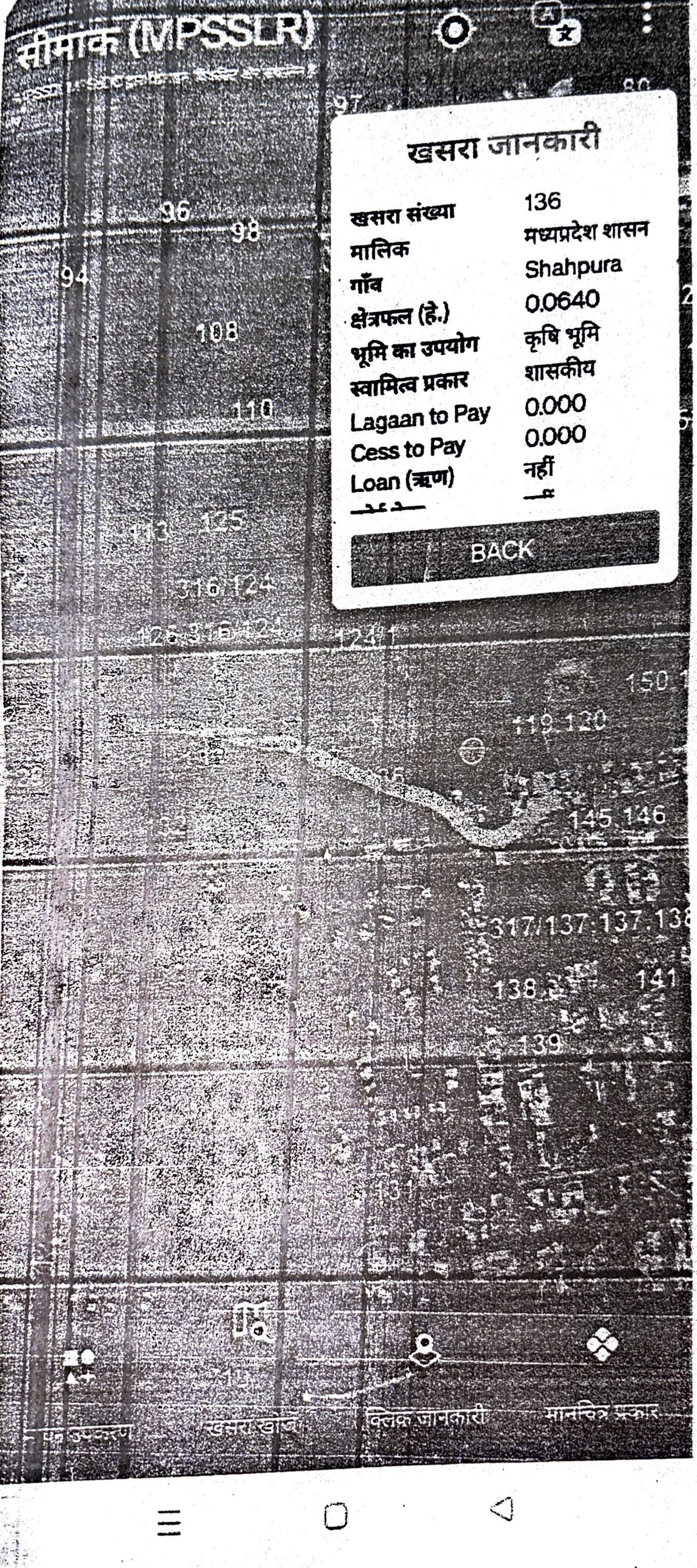
सीमांक (MPSSLR)
खसरा जानकारी
खसरा संख्या 136
मालिक मध्यप्रदेश शासन
गाँव Shahpura
क्षेत्रफल (हे.) 0.0640
भूमि का उपयोग कृषि भूमि
स्वामित्व प्रकार शासकीय
Lagaan to Pay 0.000
Cess to Pay 0.000
Loan (ऋण) नहीं
BACK
96
98
94
108
110
113
125
316 124
125 316 124
150
119 120
145 146
317/137 137 138
138
141
139
खसरा खोज
क्लिक जानकारी
मानचित्र प्रकार

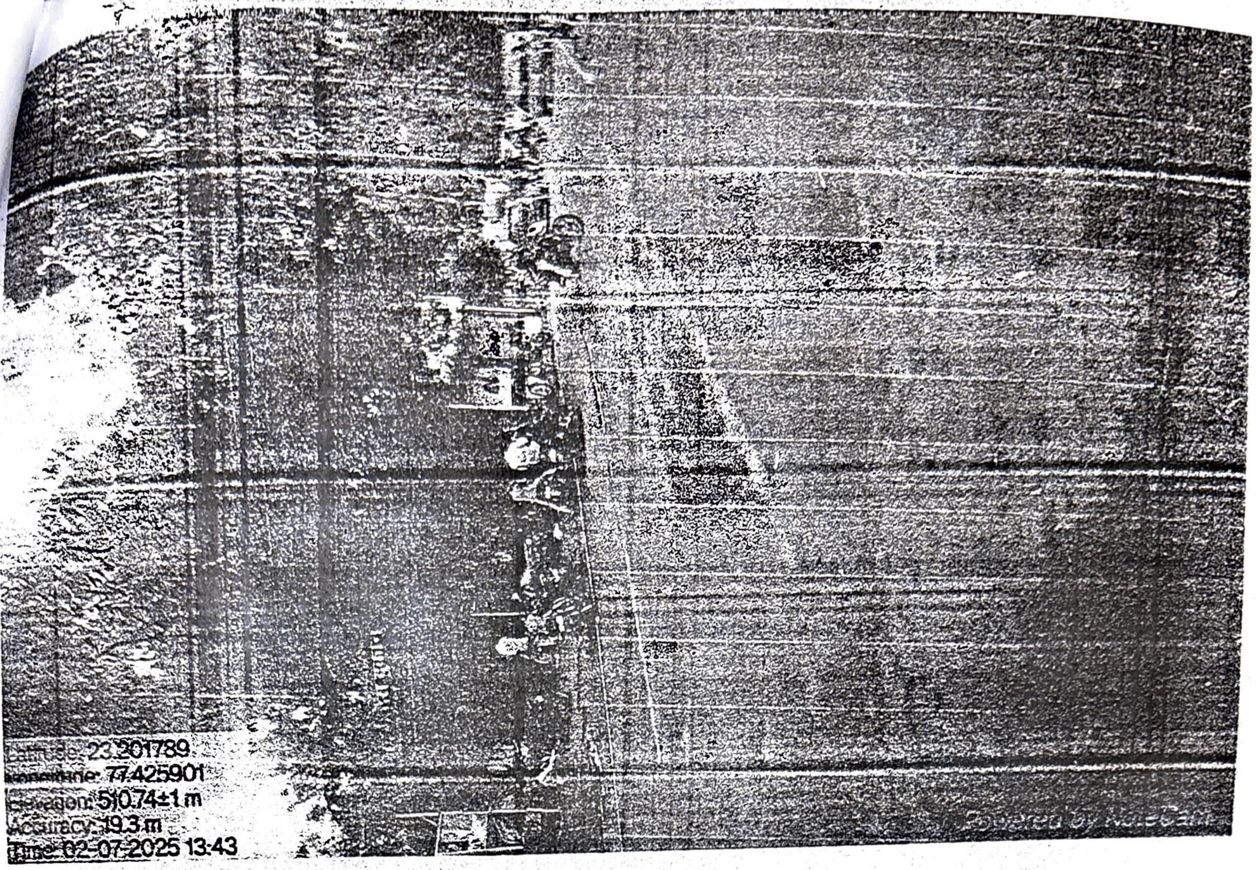
Latitude: 23.201789
Longitude: 77.425901
Elevation: 510.74±1 m
Accuracy: 19.3 m
Time: 02-07-2025 13:43

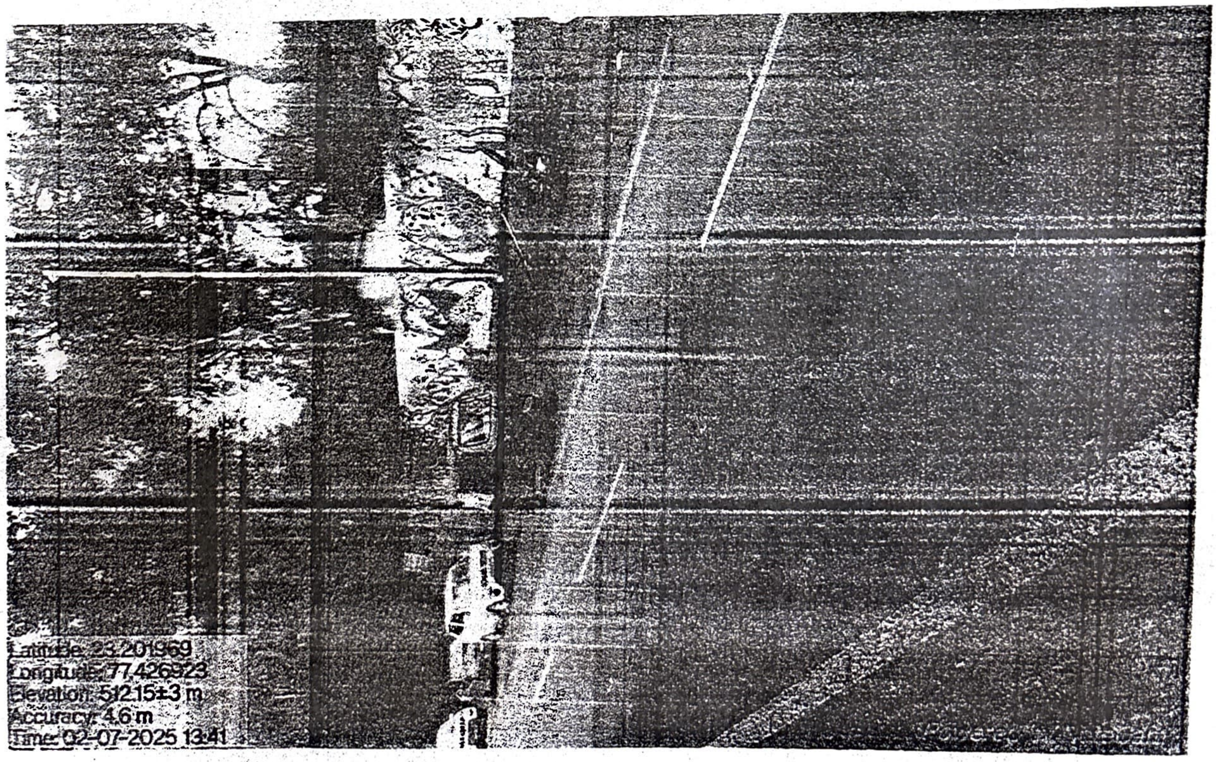
Latitude: 23.201969
Longitude: 77.426923
Elevation: 512.15±3 m
Accuracy: 4.6 m
Time: 02-07-2025 13:41

(9)

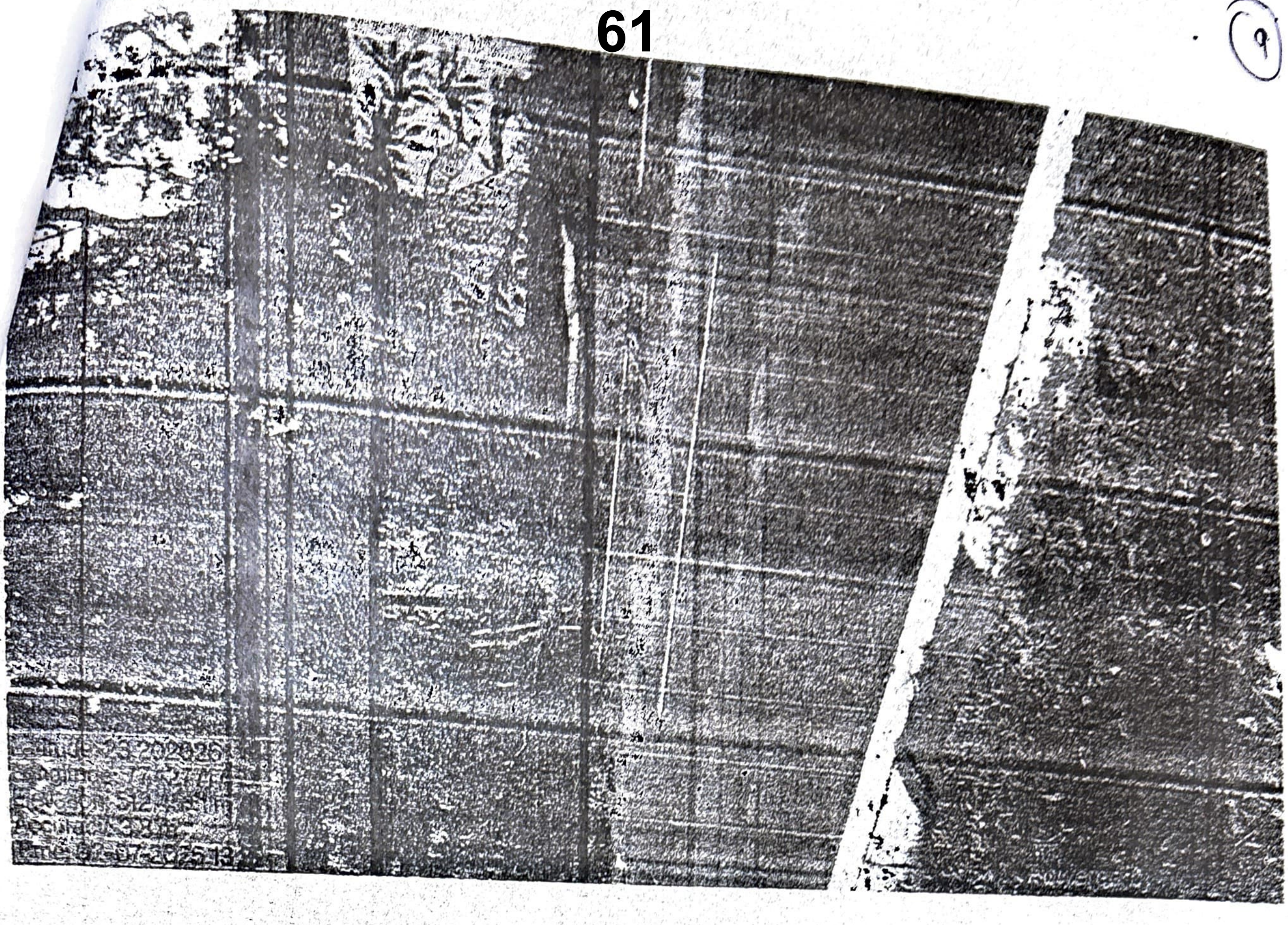

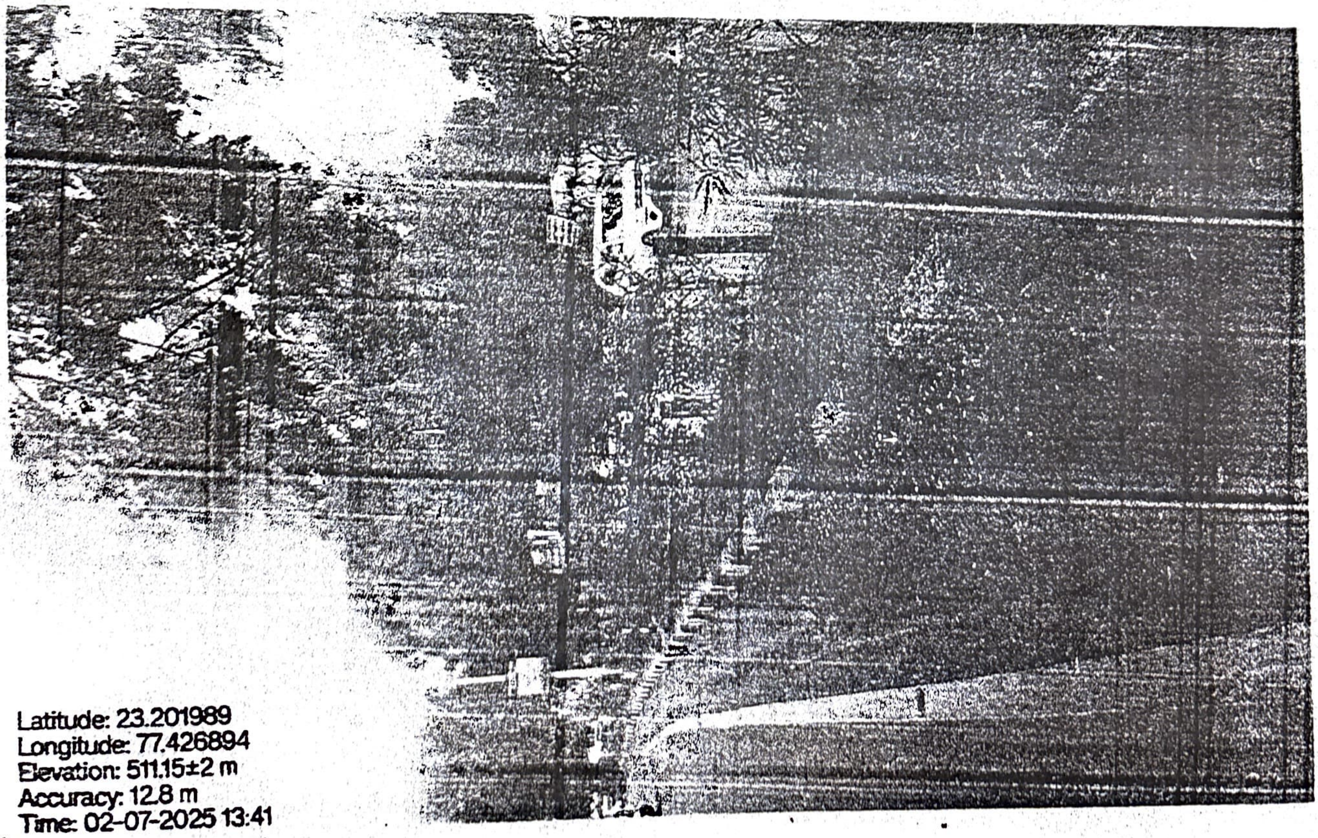
Latitude: 23.201989
Longitude: 77.426894
Elevation: 511.15±2 m
Accuracy: 12.8 m
Time: 02-07-2025 13:41

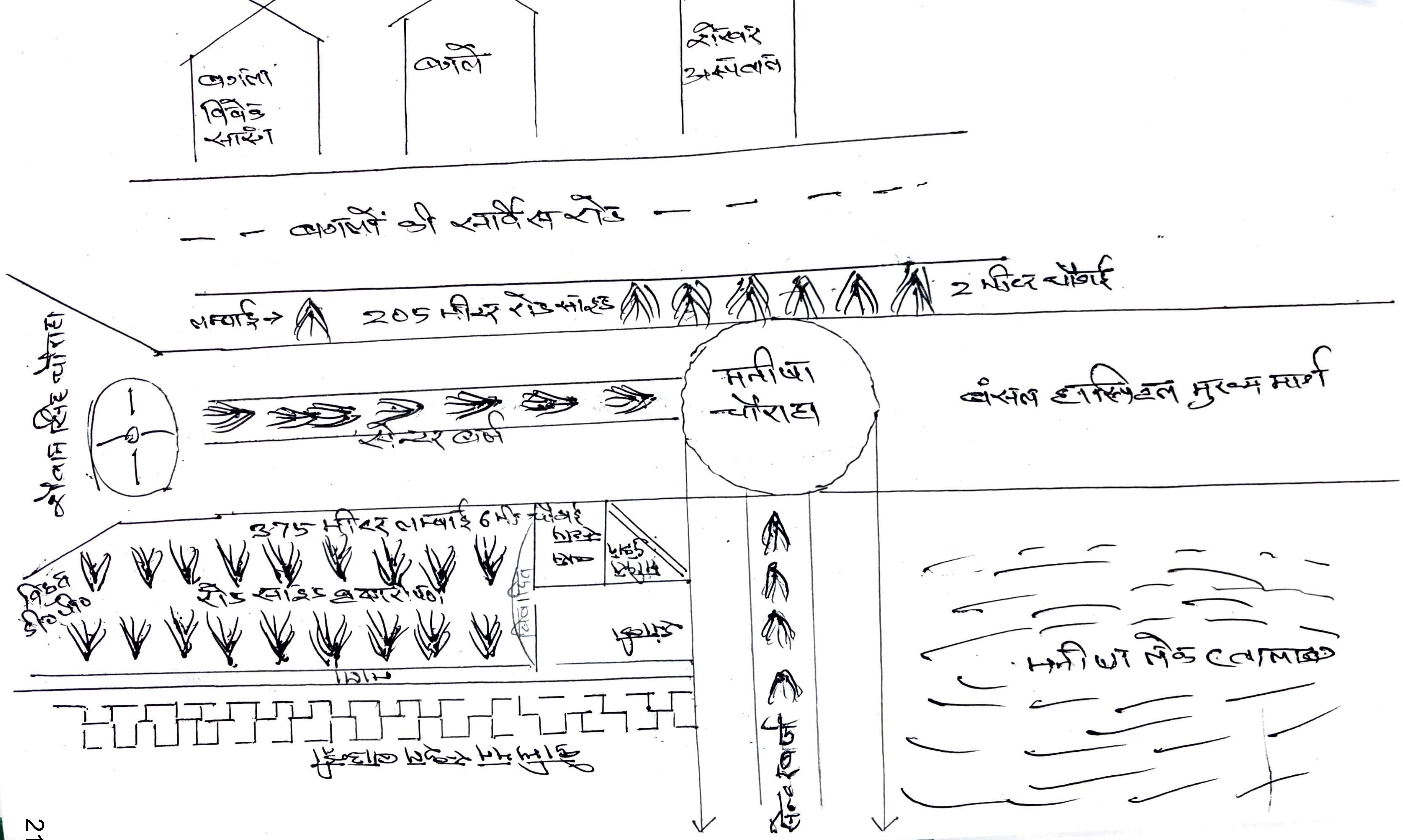
बंगला विवेक साहा
बंगले
डॉक्टर अस्पताल
बंगलों की सर्विस रोड
लम्बाई → 205 मीटर रोड साईड
2 मीटर चौड़ाई
मनीषा चौराहा
बंसल हास्पिटल मुख्य मार्ग
375 मीटर लम्बाई 6 मीटर चौड़ाई
नाला
मनीषा लेक (तालाब)

(11)

Latitude: 23.201903
Longitude: 77.426436
Elevation: 511.45±1 m
Accuracy: 7.7 m
Time: 19-10-2025 11:48
Powered by NoteCam

Latitude: 23.201971
Longitude: 77.426491
Elevation: 511.45±1 m
Accuracy: 8.8 m
Time: 19-10-2025 11:49
Powered by NoteCam

64

Latitude: 23.201927
Longitude: 77.426606
Elevation: 511.45±1 m
Accuracy: 10.9 m
Time: 19-10-2025 11:47
Powered by NoteCam

Latitude: 23.201992
Longitude: 77.426453
Elevation: 511.25±1 m
Accuracy: 10.7 m
Time: 19-10-2025 11:49
Powered by NoteCam

13

शेखर अस्पता
Latitude: 23.201963
Longitude: 77.426372
Elevation: 511.25±1 m
Accuracy: 6.8 m
Time: 19-10-2025 11:48
Powered by NoteCam

Latitude: 23.202005
Longitude: 77.426675
Elevation: 512.35±1 m
Accuracy: 3.8 m
Time: 19-10-2025 11:47
Powered by NoteCam

(14)

कार्यालय वन वृत्त, भोपाल

74 बंगले इंदिरा निकुंज खेल परिसर भोपाल

ई-मेल cfbhopal@mp.gov.in फोन न. (0755) 2674296,फेक्स (0755) 2674345

क्रमांक/न्याया/2281 भोपाल दिनांक 16/09/ 2025

प्रति,

कार्यपालक निर्देशक
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर .
ई-5 अरेरा कॉलोनी भोपाल-16

कार्यालय संचालक 4040 17/9/25

विषय:-माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्ट्रल जोन बेंच भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 110/2025 के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 21/08/2025 के अनुपालन बाबत ।

संदर्भ:- प्रधान मुख्य वन बल प्रमुख म.प्र. भोपाल को संबोधित आपका पत्र क्रमांक/ 2769 /विधि/NGT(CZ)/ प्रनिबों/2025 दि.01.09.2025

—00—

निवेदन है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्ट्रल जोन बेंच भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 110/2025 के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 21/08/2025 के अनुपालन में स्थल निरीक्षण हेतु संयुक्त समिति का गठन किया जाना है। उक्त समिति हेतु भोपाल वृत्त भोपाल से एक अधिकारी का नाम चाहा गया है। भोपाल वृत्त से श्रीमति रुही हक सहायक संचालक वनविहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल (मो.9981180819) का नाम प्रस्तावित किया जाता है।

प्रारूप मु. व. सं. द्वारा अनुमोदित

संलग्नाधिकारी
भोपाल वृत, भोपाल

पृ.क्रमांक/ न्याया / 2282 भोपाल दिनांक 16/ 09/2025

प्रतिलिपी:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन बल प्रमुख्य वन भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. कलेक्टर जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. वनमंडलाधिकारी पर्यावरण वानिकी वनमंडल भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. श्रीमति रुही हक सहायक संचालक वनविहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल की और संचालक वनविहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

प्रारूप मु. व. सं. द्वारा अनुमोदित

संलग्नाधिकारी
भोपाल वृत, भोपाल

उप. संचालक AD संचालक 16/9/25

ANNEXURE-5

क्षेत्रीय कार्यालय
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-05, अरेरा कालोनी, भोपाल
Telephone:- 0755-2466392 Email:-romppcb_bpl@rediffmail.com

LiFE Lifestyle for Environment

क्रंमाक 3406 /क्षे.का./प्रनिबो/2025 भोपाल, दिनांक 24/10/2025 ~~/2025~~

प्रति,

अपर आयुक्त,
नगर निगम,
आई.एस.बी.टी,
कुशाभाउ बस टर्मिनल,
भोपाल (म.प्र.) ।

विषय:- **माननीय एन.जी.टी. के समक्ष प्रचलित प्रकरण क्रंमाक 110/2025 (संदीप मिश्रा विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में चाही गई जानकारी बाबत्।**

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि माननीय एन.जी.टी. के समक्ष प्रचलित प्रकरण क्रंमाक 110/2025 (संदीप मिश्रा विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य) जो कि ग्रीन बेल्ट में मदिरा दुकान स्थापित करने से संबंधित है। माननीय एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.08.2025 की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है। माननीय एन.जी.टी. द्वारा गठित संयुक्त दल द्वारा जांच में पाया कि मदिरा दुकान मनीषा मार्केट, शॉहपुरा तालाब के पास स्थापित होकर संचालित है। कृपया उक्त मदिरा दुकान हेतु विभाग द्वारा यदि अनुमति दी गई हो तो कृपया दस्तावेज/अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें, ताकि दस्तावेज माननीय एन.जी.टी. के समक्ष प्रस्तुत की जा सके। लेख है कि प्रकरण की आगामी सुनवाई दिनांक 28.10.2025 को नियत है।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-05, अरेरा कालोनी, भोपाल
Telephone:- 0755-2466392 Email:-romppcb_bpl@rediffmail.com

LiFE Lifestyle for Environment

क्रंमाक 3407 /क्षे.का./प्रनिबो/2025 भोपाल, दिनांक 24/10 /2025

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,
सी.पी.ए.
चार इमली रोड़, बिठ्ठन मार्केट,
ई-05, अरेरा कालोनी,
भोपाल (म.प्र.) ।

विषय:- **माननीय एन.जी.टी. के समक्ष प्रचलित प्रकरण क्रंमाक 110/2025 (संदीप मिश्रा विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में चाही गई जानकारी बाबत्।**

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि माननीय एन.जी.टी. के समक्ष प्रचलित प्रकरण क्रंमाक 110/2025 (संदीप मिश्रा विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य) जो कि ग्रीन बेल्ट में मदिरा दुकान स्थापित करने से संबंधित है। माननीय एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.08.2025 की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है। माननीय एन.जी.टी. द्वारा गठित संयुक्त दल द्वारा जांच में पाया कि मदिरा दुकान मनीषा मार्केट, शॉहपुरा तालाब के पास स्थापित होकर संचालित है। कृपया उक्त मदिरा दुकान ग्रीन बेल्ट एरिया में स्थापित है या नहीं के संबंध में जानकारी प्रदान करने का कष्ट करें, ताकि जानकारी माननीय एन.जी.टी. के समक्ष प्रस्तुत की जा सके। लेख है कि प्रकरण की आगामी सुनवाई दिनांक 28.10.2025 को नियत है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

क्षेत्रीय अधिकारी

VAKALATNAMA

[Rule 4(1) of the Rules framed under Advocates Act, 1961]

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
ORIGINAL APPLICATION 110/2025
CENTRA ZONAL BENCH

IN THE MATTER OF:

SANDEEP MISHRA ....**APPLICANT**

VERSUS

STATE OF M.P. & ORS. ....**RESPONDENT**

I **Brajesh Sharma , Regional Officer Bhopal , MPPCB** named below do hereby appoint, engage, and authorize advocate(s) named below to appear, act and plead as aforesaid case proceedings which shall include application for restoration, setting aside of ex- party orders, corrections, modifications, review and recall of orders passed in these proceedings, in this court or any other court in which the same may be tried/ heard/proceeded and also in appellate. Revisional and executing court in respect of proceedings arising from this case/ proceedings as per agreed terms and conditions and authorize him/them to sign and file pleadings, appeals, cross objections, applications, affidavit or other documents as may be deemed necessary for the proper prosecution/defence of the case in all its stages and also agree to ratify and confirm act done by him/them as if done by me.

In witness whereof i/we do hereunto set my/our hand to the presents, the contents of which have been duly understood by me /us this **21.10.2025 at Bhopal.**

PARTICULARS OF EACH PARTY EXECUTING VAKALATNAMA

Name	Registered Address	E-Mail Add & Telephone (If any)	Status in case	Signature
Brajesh Sharma , Regional Officer Bhopal , MPPCB	E5, Arera Colony Paryawaran Parisar Regional Office MPPCB Bhopal - 462016	9893002888 romppcb_bpl@rediff.com	Officer-in-Charge	[signature] Regional Officer M P Pollution Control Board BHOPAL

Accepted

Name & Enrollment. No.	Address (If any) E-Mail Add.	Telephone (If any)	Full Signature
PARUL BHADORIA 1587-2012	parul.bhadoria04@gmail.com	8085977111	[signature]
PRANJAL PANDEY MP 2881-2021	advocatepranjalpandey@gmail.com	9340657120	[signature]
SHIVAM DWIVEDI MP 3857-2023	advshivamdwivedi20@gmail.com	8878471359	[signature]

Joint Committtee Report in Original Application No. 110/2025(CZ) Sandeep Mishra Applicant (s) Vs. State of Madhya Pradesh & Ors.

From : Legal Cell <legalcell.pcb@mp.gov.in> Mon, Oct 27, 2025 01:34 PM

Subject : Joint Committtee Report in Original Application No. 110/2025(CZ) Sandeep Mishra Applicant (s) Vs. State of Madhya Pradesh & Ors. 1 attachment

To : harshitatejwaniadv19 <harshitatejwaniadv19@gmail.com>, commoffice <commoffice@bmconline.gov.in>, PS Forest MP <psforest@mp.gov.in>

Cc : parul bhadoria04 <parul.bhadoria04@gmail.com>, harnengt <harnengt@gmail.com>, advshivamdwivedi20 <advshivamdwivedi20@gmail.com>, bs24465 <bs24465@gmail.com>

Madam/Sir

Please find enclosed the Joint Committee Report filed by MPPCB in compliance of order darted 21.08.2025 passed in Original Application No. 110/2025(CZ) Sandeep Mishra Applicant (s) Vs. State of Madhya Pradesh & Ors.
This mail be considered as proof of service.

Regards
Legal Section
MP PCB

OA 110-2025 Report.pdf
18 MB